भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1898

16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिक्किम के मरीजों के लिए वित्तीय सहायता, प्राथमिकता उपचार योजनाएं

1898 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय सिक्किम के मरीजों को उनके राज्य के बाहर विशिष्ट स्तर की देखरेख के लिए सहायता, वित्तीय सहायता, प्राथमिकता उपचार योजनाओं पर विचार कर रहा है;

(ख) एम्स, अन्य केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में राज्य के लोगों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा उपचार सुविधाओं, किसी आरक्षित कोटा, विशेष प्रावधानों या रेफरल तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य से आने वाले मरीजों की सहायता के लिए एम्स और अन्य प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों में एक समर्पित हेल्पडेस्क, सुविधा केंद्र स्थापित करने या नोडल अधिकारी तैनात करने का विचार रखती है; और

(घ) राज्य में चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि मरीजों को उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर न होना पड़े?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, गुवाहाटी में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है, जो सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सिक्किम के मरीज आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं के तहत उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं, जो देश के सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। एम्स और केंद्रीय सरकारी अस्पताल सिक्किम सहित देश के सभी हिस्सों के मरीजों को ओपीडी और आईपीडी सेवाएँ

प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं में, रोगी सुविधा केंद्र और हेल्प डेस्क सभी मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

केंद्र सरकार ने सिक्किम राज्य में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक, जोरेथांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में 50 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग (एमसीएच) के निर्माण; ग्राथंग, टिंगले और लिंगडोक के उप-केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में उन्नत करने; चुंगथांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को 30 बिस्तरों वाले पीएचसी में उन्नत करने; ग्यालशिंग जिला अस्पताल में 6 बिस्तरों वाली बर्न यूनिट की स्थापना; और 23 स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लागू मानदंडों के अनुरूप उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ii) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) योजना के अंतर्गत, सिक्किम के गंगटोक स्थित सर थुतब नामग्याल मेमोरियल (एसटीएनएम) अस्पताल में तीन एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' हेतु गंगटोक में 90:10 के केंद्र और राज्य हिस्सेदारी अनुपात पर 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

(iv) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, वर्ष 2025 -26 में सिक्किम में एक जिला डे-केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

(v) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, सिक्किम में तीन जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि राज्य के लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

****